51/17

A2/3

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 51/2017
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

नरेन्द्र उर्फ जसवन्त आयु 46 वर्ष आत्मज श्री तेजाराम, जाट, चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादी

उपस्थित– श्री सुभाष मिढ़ा	(वादी)
पैरोकार राज	(प्रतिवादी)

दिनांक 28 फरवरी, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 24 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 22(0.076) हैक्टर कृषि भूमि अपने पिता श्री तेजाराम के साथ राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम पर दर्ज है. इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.198 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है. वादी को परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेह एवं लाड़ के कारण घर में नरेन्द्र एवं जसवन्त के नाम से पुकारा जाता था, इसी कारण कुछ अभिलेख आधार कार्ड में वादी का नाम श्री जसवन्त आत्मज श्री तेजाराम, शस्त्र अनुज्ञापत्र में वादी का नाम नरेन्द्र उर्फ जसवन्त आत्मज श्री तेजाराम, मूल निवासी प्रमाणपत्र में भी वादी का नाम नरेन्द्र उर्फ जसवन्त अंकित है किन्तु जमाबन्दी में अकेला नरेन्द्र अंकित होने से वादी को कृषि भूमि सुधार के लिये बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में काफी कठिनाई आती है. वादी द्वारा जमाबन्दी एवं राजस्व अभिलेखों में जहां नरेन्द्र अंकित है के साथ उर्फ जसवन्त पृष्ठांकित करने हेतु समय समय पर सम्बन्धित पटवारी एवं उप तहसीलदार, चूनावढ को निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा यथा संशोधन नहीं किया गया जबकि वादी द्वारा अपने समस्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये किन्तु उनके द्वारा संशोधन न कर दिनांक 11 मई, 2017 को साफ इन्कार कर दिया गया. यही वाद हेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 24 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 10 एवं 27 में उसके पिता श्री तेजाराम के साथ दर्ज है, सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में जहां नरेन्द्र अंकित है, के साथ उर्फ जसवन्त पृष्ठांकित करने की घोषणा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, वाहन चालक अनुज्ञापत्र संख्या अपठनीय, आधार कार्ड संख्या 2896 1939 3640, शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 17/99/डी.एम./गंगानगर, मूल निवास प्रमाणपत्र दिनांक 24 मई, 2013 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

51/17

A2/31

प्रतिवादी राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 4 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहितों को ध्यान में रखते हुऐ निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी राज्यपक्ष की ओर से वादपत्र के तथ्यों का विरोध नहीं करने के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं है.

साक्ष्य वादी हेतु श्री नरेन्द्र उर्फ जसवन्त द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पैरोकार राज द्वारा जिरह नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर जिरह बन्द की गयी. राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 (प्रदर्श–1), वाहन चालक अनुज्ञापत्र संख्या अपठनीय (प्रदर्श–2), आधार कार्ड संख्या 2896 1939 3640(प्रदर्श–3), शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 17/99/डी.एम./गंगानगर(प्रदर्श–4ए), मूल निवास प्रमाणपत्र दिनांक 24 मई, 2013(प्रदर्श–5ए) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे आधार कार्ड एवं वाहन चालक अनुज्ञापत्र में वादी का नाम जसवन्त, शस्त्र अनुज्ञापत्र में वादी का नाम नरेन्द्र उर्फ जसवन्त एवं मूल निवास प्रमाणपत्र में वादी का नाम नरेन्द्र उर्फ जसवन्त अंकित है जिससे स्पष्ट है कि नरेन्द्र एवं जसवन्त एक ही व्यक्ति के नाम है. ऐसी स्थिति में, वादी अपने नाम नरेन्द्र उर्फ जसवन्त आत्मज श्री तेजाराम घोषित करवाने का अधिकारी है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी का नाम नरेन्द्र उर्फ जसवन्त आत्मज श्री तेजाराम घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते